चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/732
दिनांक : 9 जून, 2008

सेवा में,

सचिव,
मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
सेक्टर–4सी, वसुन्धरा,
गाजियाबाद

विषय :– बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में दो–दो (प्रत्येक में 60 सीट) अतिरिक्त सैक्शनों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जोकि **मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट**, गाजियाबाद के बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2008 से दो–दो (प्रत्येक में 60 सीट) अतिरिक्त सैक्शनों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शासन ने अपने पत्रांक संख्या–3007/सत्तर–2–2007–2(58)/2006, दिनांक 10.08.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि अतिरिक्त सैक्शन के लिए शासन स्तर से अनुमति अपेक्षित नही है। याचित पाठ्यक्रम में मानकानुसार समस्त अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने पर एवं सतुष्ट होने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। उक्त के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/515, दिनांक 21.05.2008 के द्वारा प्रो0 एन0के0 तनेजा, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की संयोजकता में एक निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया था। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 29.05.2008 को संस्थान का निरीक्षण कर, निरीक्षणोपरान्त पाया कि :–

01. मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद में वर्ष 1998 से बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित है। महाविद्यालय यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा–2(एफ) के अंतर्गत पंजीकृत है। (संलग्नक–1)
02. महाविद्यालय की संचालक सोसाइटी (मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी) का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है। (संलग्नक–2)
03. प्रबन्ध समिति कुलपति जी द्वारा अनुमोदित है। प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्ध समिति के सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं है।
04. मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी ने 10,433.38 वर्गमीटर भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद से दिनांक 08.07.2002 को पंजीकृत पट्टा विलेख द्वारा 90 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त की है जिसमें से 5000 वर्गमीटर भूमि संस्था ने मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद के लिए आरक्षित की है तथा इसी भूमि पर संस्थान का भवन निर्मित है। (संलग्नक–3)
05. महाविद्यालय में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, कॉमनरूम, प्रशासनिक कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था है जोकि 50,000 वर्गफिट कवर्ड एरिया के रूप में विद्यमान है जिसमें संदर्भित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। (संलग्नक–4)
06. संदर्भित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूत राशि क्रमशः रू0 250000/–, 300000/– एफ0डी0आर0 संख्या–080210, 080211 दिनांक 10.08.2006 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के रूप में जमा है जोकि कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम बन्धक है। (संलग्नक–5)
07. संस्थान ने उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर ली है, जिसका माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त है। (पत्रांक सम्बद्धता/2349, दिनांक 25.10.2007) (संलग्नक–6) प्रबन्धतंत्र द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (संलग्नक–7) भी प्रस्तुत किया गया है कि दोअतिरिक्त सैक्शन के लिए मानकानुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कर ली जायेगी।

क्रमांक..............2

08. संदर्भित पाठ्यक्रमो के लिए आवश्यक कम्प्यूटर, प्रयोगशालाये, समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण उपलब्ध है जिनमें 151 कम्प्यूटर, एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, ओ0एच0पी0, यू0पी0एस0, प्रिंटर्स आदि उपलब्ध है।

09. संस्थान में संदर्भित पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त पुस्तकें है। संस्थान के पुस्तकालय में वर्तमान में 12668 पुस्तकें उपलब्ध है।

<u>उपरोक्त विवरणानुसार संस्थान मे निम्नांकित कमियों के अतिरिक्त सम्बद्धता सम्बन्धी शेष मानक पूर्ण है।</u>

01. दो अतिरिक्त सैक्शन के लिए मानकानुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कर ली जायेगी।

" उपर्युक्त के आलोक में निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्य सम्यक विचारोपरान्त मेवाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों को सत्र 2008–2009 से दो–दो अतिरिक्त सैक्शन (प्रत्येक में 60 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ करते है कि विश्वविद्यालय परिनियम संख्या–13.22 के अनुपालन में महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष कुलसचिव को सम्बद्धता के सभी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की समस्त शर्तें निरन्तर पूरी की जा रही है। "

अतः कुलपति जी के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 10.08.2007 के आलोक में संस्थान को **बी0बी0ए0 बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों (दो–दो अतिरिक्त सैक्शनों)** में दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि संस्थान समय–समय पर शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/3411
दिनांक : 6 फरवरी, 2008

सचिव,
मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
सैक्टर-4, सी, वसन्धुरा, दिल्ली-गाजियाबाद लिंक रोड,
गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-70/सत्तर-2-2008-2(42)/97, दिनांक 25.01.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन **मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद** को **बी०बी०एव एवं बी०सी०ए०** पाठ्यक्रमों (दो-दो सैक्शन प्रत्येक सैक्शन में 60-60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद** को **बी०बी०एव एवं बी०सी०ए०** पाठ्यक्रमों (दो-दो सैक्शन प्रत्येक सैक्शन में 60-60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायंगे।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव